न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 543/2024

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लक्ष्मी पुत्री सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. श्याम सुन्दर पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 26/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 141/140 के ख0न0 42 की 6.9180 हैक्ट भूमि में से 379/13836 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में सीताराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि में 1265/6918 हिस्सा भूमि वादी, 379/13836 हिस्सा हिस्सा प्रतिवादी स0 1, 63/2303 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2, 740/03459 हिस्सा प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा में तय किया है कि प्रतिवादी स0 1 ने वादी के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला 158/1153 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये [illegible] वादी के वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में सीताराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि में 1265/6918 हिस्सा भूमि वादी, 379/13836 हिस्सा हिस्सा प्रतिवादी स0 1, 63/2303 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2, 740/03459 हिस्सा प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा में तय किया है कि प्रतिवादी स0 1 ने वादी के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला 158/1153 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 141/140 के ख0न0 42 की 6.9180 हैक्ट भूमि में से 379/13836 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना उक्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग उक्त भूमि पर वादी काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री ... घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 141/140 के ख0न0 42 की 6.9180 हैक्ट भूमि में से 379/13836 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

158/1153 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 543/2024
अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लक्ष्मी पुत्री सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. श्याम सुन्दर पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 543 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 141/140 के ख0न0 42 की 6.9180 हैक्ट भूमि में से 379/13836 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 158/1153 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:10 IST
Reason: SelfAttested